**उत्तर प्रदेश शासन**

**महिला कल्याण अनुभाग-1**

**संख्या-6/2025/851815/60-1099/418/2024**

**लखनऊ::दिनांक: 16 जनवरी, 2025**

**कार्यालय आदेश**

शासन के पत्र संख्या-1117/60-1-22/1/13(89)/04, दिनांक-07.12.2022 द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम,2015 एवं तत्संबंधी नियमावली के प्राविधानों का उल्लंघन करने एवं बाल कल्याण समिति की शक्तियों का दुरूपयोग करने इत्यादि आरोपों के सिद्ध पाये जाने के दृष्टिगत निदेशक, महिला कल्याण द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के आधार पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 में विहित प्राविधानों के आलोक में श्रीमती अपर्णा श्रीवास्तव, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, सिद्धार्थनगर की सदस्यता समाप्त की गयी है।

2- निदेशक, महिला कल्याण के पत्र संख्या-2605/निदे0म0क0/प्रोबे0/के0टी0/2024-25, दिनांक 03.01.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट-सी-संख्या-16173/2023 अपर्णा श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 राज्य व 05 अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 25.11.2024 पारित करते हुए श्रीमती अपर्णा श्रीवास्तव, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, सिद्धार्थनगर की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने विषयक शासनादेश दिनांक-07.12.2022 को रद्द कर दिया गया है।

3- इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट-सी-संख्या-16173/2023 अपर्णा श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 राज्य व 05 अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में श्रीमती अपर्णा श्रीवास्तव, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, सिद्धार्थनगर की सदस्यता समाप्त किये जाने संबंधी शासन के आदेश संख्या-1117/60-1-22/1/13(89)/04, दिनांक-07.12.2022 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

**(अशोक कुमार तिवारी)**

**संयुक्त सचिव**

**संख्या-6/2025/851815(1)/60-1099/418/2024, तद्दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

3- श्रीमती अपर्णा श्रीवास्तव, अध्यक्ष, बाल कल्याण समिति, सिद्धार्थनगर द्वारा निदेशक, महिला कल्याण।

4- गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**(अशोक कुमार तिवारी)**
**संयुक्त सचिव**

http://shasanadesh.up.gov.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।